

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

(फोन - 0771-2636413 फैक्स - 0771-2263412)

(E.mail - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 348/118/आउशि/समन्वय/2015

नया रायपुर, दिनांक 14/08/2015

प्रति,

- 1- कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़.
- 2- प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़.

विषय :-

प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा कृषि एवं संबद्ध विज्ञान के पाठ्यक्रमों में प्रवेश अथवा अध्यापन कार्य संचालित कराने पर रोक लगाने के संबंध में।

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत कुलसचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक-शैक्ष-1/35/2015/1760 दिनांक 16.07.2015 की छायाप्रति सहपत्रों सहित संलग्न कर भेजी जा रही है। उक्त पत्र के माध्यम से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अधिनियम एवं परिनियम के अनुसार कोई भी अन्य विश्वविद्यालय/संस्था छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि एवं संबद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु सक्षम/अधिकृत नहीं होने का लेख किया गया है।

कृपया आप अपने एवं आपके क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय/निजी महाविद्यालयों को उक्त पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुये नियमानुसार दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

पु.क्रमांक 348/118/आउशि/समन्वय/2015

नया रायपुर, दिनांक 14/08/2015

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनाार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा के निज सहायक, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर (छ.ग.)।
3. कुलसचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर पत्र क्रमांक-शैक्ष-1/35/2015/1760 दिनांक 16.07.2015 के संदर्भ में सूचनाार्थ।

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)



इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
कृषक नगर, रायपुर 492 012 (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/शैक्ष-1/35/2015/1760

रायपुर, दिनांक 16/07/2015

प्रति

AD(V)

आयुक्त
कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग
ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय स्तर,
इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

23 JUL 2015

JACK

विषय— शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा द्वारा इग्नू (IGNOU) अध्ययन केंद्र-3515 में सी.एस.सी. एग्रीकल्चर संचालित करने के संबंध में।

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि - छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिये केवल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर अधिकृत है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अधिनियम एवं परिनियम के अनुसार कोई भी अन्य विश्वविद्यालय/संस्था छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्यापन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु सक्षम/अधिकृत नहीं है (प्रतिलिपि संलग्न)। इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा समाचार पत्र में जारी/प्रकाशित सूचना की प्रति संलग्न है। वर्तमान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के खरीन (कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रमों में) 18 शासकीय एवं 18 सम्बद्धता एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय संचालित किये जा रहे हैं (महाविद्यालयों की सूची संलग्न)।

अतः आदेशानुसार अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध विज्ञानों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश अथवा अध्यापन कार्य संचालित कराने पर रोक लगाने के संबंध में शासन स्तर पर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय/संस्था को निर्देश पत्र जारी करने का कष्ट करे।

पु.क्रमांक/शैक्ष-1/35/2015/
प्रतिलिपि—

रायपुर, दिनांक /07/2015

मान. कुलपति जी के निज सहायक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर।

कुलसचिव

शासक-सचिव की पूर्व-अनुमति के
बिना शासक द्वारा मंडल ज्ञान के
द्वारे अनुमति. अनुमति-यत्र
क्र. भाषा-505/अनुमति. की.

कौडी क्रमांक भाषा-122 (एम. पी.)



मध्य प्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 160]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 अप्रैल 1987—पृष्ठ 25, शर्क 1909

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 1987

क्र. 5996-दन्कीस-म (प्रा.)—मध्य प्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 15 अप्रैल, 1987 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आवेधानुसार,
बि. वा. उमरेकर, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् १९८७.

इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९८७.

विषय-सूची.

अध्याय १—प्रारम्भिक.

धाराएं :-

१. संक्षिप्त नाम.
२. परिभाषाएं.

अध्याय २—विश्वविद्यालय.

३. निगमन.] ३
४. विश्वविद्यालय [के] उद्देश्य.
५. विश्वविद्यालय की शक्तियां.
६. प्रादेशिक अधिकारिता.
७. विश्वविद्यालय को कृषि तथा सम्बन्ध विज्ञानों में शिक्षण, अनुसंधान आदि क्षेत्रों में व्यवस्था करने की अनन्य अधिकारिता होगी.
८. विश्वविद्यालय धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या विचारों द्वारा पर ध्यान दिए बिना सब लोगों के लिये खुला रहेगा.
९. विश्वविद्यालय में अनुयायन.
१०. विश्वविद्यालय का निरीक्षण या उसकी जांच.

अध्याय ३—विश्वविद्यालय के अधिकारी.

११. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
१२. कुलाधिपति.
१३. कुलाधिपति की शक्तियां.
१४. कुलपति.
१५. कुलपति को उपलब्धता तथा सेवा की शर्तें.
१६. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.
१७. कुलपति का हटाना/समाप्त.
१८. कुलसचिव.

(ख) शारीरिक तथा सैन्य प्रशिक्षण ;

(ग) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप ;

४. (घ) कोई अन्य क्रियाकलाप जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए.

(२०) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों के साथ ऐसी रीति में, ऐसी सीमा तक तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये, जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहयोग करना ;

२. (२१) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना जो चाहे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुवंशिक हों या न हों और जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अक्षर करने के लिये अवधारित हों.

प्रादेशिक अधि-
कारिता.

६. (१) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का विस्तार रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालाघाट, विलासपुर, रायगढ़, सखुवा एवं बस्तर (अनंतपुर) राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों पर होगा.

(२) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी महाविद्यालय या शिक्षण संस्था को, जो पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर स्थित हो और जो कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विज्ञानों में स्नातक उपाधि के लिये और/या उससे ऊपर का शिक्षण प्रदान करती हो, भारत में विधि द्वारा निर्गमित किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से सहयुक्त नहीं किया जाएगा और वह उसको कोई विशेषाधिकार ही दिया जाएगा और कोई भी ऐसा विशेषाधिकार, जो किसी ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा उन सीमाओं के भीतर स्थित किसी शिक्षण संस्था को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व दिया गया हो, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर अन्वहृत हो गया समझा जाएगा और ऐसी संस्थाएं उस तारीख तक, जिसको कि वे धारा ५७ के अधीन विश्वविद्यालय को अन्तर्गत की जाए विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहेंगी.

(३) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में हाथ में लिये गए या संचालित किए गए अनुसंधान या विस्तार कार्य का विश्वविद्यालय के किष्वा-कलाओं के साथ सम्बन्ध तथा उनमें एकीकरण,—

(क) ऐसी तारीख या तारीखों से किया जाएगा जिसे/जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिश्चित करे, तथा समन्वय एवं एकीकरण के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें विनिश्चित की जा सकेंगी; और

(ख) ऐसी रीति में तथा उस सीमा तक किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के परामर्श से अवधारित किया जाए.

विश्वविद्यालय को
कृषि तथा सम्बद्ध
विज्ञानों में शिक्षण,
अध्ययन आदि
के लिये व्यवस्था
करने की अन्य
अधिकारिता होगी.

७. (१) विश्वविद्यालय को कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था करने के लिये धारा ६ की उपधारा (१) में विनिश्चित शक्तियों पर अन्व अधिकारिता होगी और राज्य में के किसी अन्य विश्वविद्यालय के नियमन से संबंधित विधि में अन्तर्विष्ट किये बात के होते हुए भी, कोई भी अन्य विश्वविद्यालय ऐसे क्षेत्रों में कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में शिक्षण, अध्ययन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिये सक्षम नहीं होगा.

(२) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनिषमों तथा विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कृषि महाविद्यालय, रायपुर, बालेज ग्रोक डेपरी टेकनाहॉजी रायपुर या पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय, अन्धोरा का कोई भी ऐसा विद्यार्थी, जो २० जनवरी, १९८७ को ठीक पूर्व जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विज्ञानों की किसी परीक्षा के लिये अर्जपत्र कर रहा था या उसमें बैठने के लिये पात्र था, अर्थात् जो कि दशा हो, उस परीक्षा की तैयारी के लिये अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, और विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिये पांच वर्ष से अधिक की ऐसी काला-वधि के लिये और ऐसी रीति में, जैसी कि परिनिषमों द्वारा विहित की जाए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अध्यापन पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण, अध्ययन, प्रशिक्षण तथा परीक्षा की व्यवस्था करेगा.

विश्वविद्यालय धर्म,
आर्थिक स्थिति, अन्य
स्थान * या
विचारधारा पर
ध्यान दिए बिना
सब लोगों के
लिए धुना रहेगा.

८. विश्वविद्यालय के लिये यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को—

(क) विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करने; या

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने; या

(ग) अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने या सम्मिलित किए जाने; या

(घ) किसी उपाधि, डिप्लोमा या विधा संबंधी अन्य विशिष्टताओं या पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाने; या

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 1987

क्र. 2523-इन्कीय-प्र. (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इन्दिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय, अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 यत् 1987) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा अतिथानुसार,
वि. वा. लोरेवार, उपसचिव

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 of 1987.

THE INDIRA GANDHI KRISHI VISHWA VIDYALAYA
ADHINIYAM, 1987.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. Short title.
2. Definitions.

CHAPTER II—THE UNIVERSITY

3. Incorporation.
4. Objects of University.
5. Powers of University.
6. Territorial jurisdiction.
7. University to have exclusive jurisdiction to provide for instruction teaching, etc., in agriculture and allied sciences.
8. University open to all irrespective of religion, caste, sex, place of birth or opinion.
9. Teaching in University.
10. Inspection or inquiry of University.

CHAPTER III—OFFICERS OF THE UNIVERSITY

11. Officers of University.
12. Chancellor.
13. Powers of Chancellor.
14. Vice-Chancellor.

- (c) Employment Bureau ;
 - (d) Any other institution authorised by the State Government ;
- (19) to make provisions.—
- (a) for extra-mural teaching and research ;
 - (b) for physical and military training ;
 - (c) for sports and athletic activities ;
 - (d) any other activity as may be decided by the State Government ;
- (20) to co-operate with other Universities and authorities in such manner, to such extent and for such purposes as the University may determine ;
- (21) to do all such other acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not as may be requisite in order to further the objects of the University.

Territorial jurisdiction.

6. (1) Save as otherwise provided in this Act, the powers conferred on the University by or under this Act, shall extend to the areas comprised within the limits of Revenue districts of Riapur, Durg, Rajnandgaon, Balaghat, Bilaspur, Raigarh, Surguja and Bargar (Jagdalpur).

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no college or educational institution situated within the aforesaid limits imparting instructions in agriculture and other allied sciences for bachelors degree and/or above, shall be associated in any way with or be admitted to any privilege of any other University incorporated by law in India and any such privilege granted, by any such other University to any educational institution within those limits prior to the commencement of this Act, shall be deemed to be withdrawn on the commencement of this Act, and such institutions shall stand affiliated to the University till the date they are transferred to the University, under section 57.

(3) The research and extension work undertaken or conducted by or on behalf of the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidhyalaya in the field of agriculture and allied sciences within the aforesaid limits shall be co-ordinated with and integrated into the activities of the University.—

- (a) with effect from such date or dates as the State Government may, by notification, specify and different dates may be specified for co-ordination and integration ; and
- (b) in such manner and to such extent as may be determined by the State Government in consultation with the Board.

University to have exclusive jurisdiction to provide for instruction teaching, etc., in agriculture and allied sciences.

7. (1) The University shall have exclusive jurisdiction throughout the areas specified in sub-section (1) of Section 6 to provide for instruction, teaching and training in agriculture and allied sciences and notwithstanding anything contained in the law relating to incorporation of any other University in the State, no other University shall be competent to provide for instruction, teaching and training in agriculture and allied sciences in such areas.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or Statutes and Regulations made thereunder any student of the College of Agriculture Raipur, the College of Dairy Technology Raipur or the College of Veterinary Science and Animal Husbandry Anjora who immediately prior to the 20th day of January 1987 was studying for or was eligible to appear in any examination, as the case may be, in Agriculture and other allied Sciences of the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, shall be permitted to complete his course in preparation therefor, and the University shall provide for such period not exceeding five years and in such manner as may be prescribed by the Statutes for the instruction, teaching, training and examination of such students in accordance with the course of studies of the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya.

8. It shall not be lawful for the University to impose any test or condition whatsoever relating to religion, caste, sex, place of birth or other opinion in order to entitle any person :—

- (a) to hold any office in the University ; or
- (b) to be a member of any authority of the University ; or
- (c) to be appointed or admitted as a teacher ; or
- (d) to be admitted to any degree, diploma or other academic distinctions or course ; or
- (e) to enjoy or exercise any privileges of the University or benefication thereto :

University open to all irrespective of religion caste, sex, place of birth or opinion.

Provided that the University may subject to the previous sanction of the State Government, maintain any college or institution exclusively for women, either for education, instruction or residence, or reserve for women or members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or of other classes and communities which are educationally backward, seats for the purposes of admission as students in any college or institution maintained or controlled by the University :

Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study, students larger in number than, or with academic or other qualifications lower than those prescribed in the Statutes :

Provided also that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from exempting indigent persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or to any other classes or communities which are socially and educationally backward from attending courses of study or from the fees levied in whole or in part for attending such courses..

Explanation.—A person shall, for the purposes of this proviso, be deemed to be an "indigent person" if the annual income of such person or his guardian (where such person is for his livelihood and education dependent upon such guardian) is less than such amount as may be specified by the State Government, by notification, in this behalf.

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर (छ.ग.)
के अधिनस्थ महाविद्यालयों की सूची :-

(अ) शासकीय महाविद्यालयों की सूची :-

बी.एस-सी. (कृषि)

- 1 अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर (छ.ग.)
- 2 अधिष्ठाता, टाकुर छेवीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, सरकंडा बिलासपुर (छ.ग.)
- 3 अधिष्ठाता, राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, अजिरमा, अम्बिकापुर (छ.ग.)
- 4 अधिष्ठाता, शहीद गुण्डापुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कुम्हरावन्द, जगदलपुर (छ.ग.)
- 5 अधिष्ठाता, सत कबीर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र कवर्धा (छ.ग.)
- 6 अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जांजगीर बापा (छ.ग.)
- 7 अधिष्ठाता, दाऊ कल्याण सिंह कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, भाटापारा (छ.ग.)
- 8 अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, राजनांदगांव (छ.ग.)
- 9 अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कांकेर (छ.ग.)
- 10 अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, बेमतरा (छ.ग.)
- 11 अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कोरिया (छ.ग.)
- 12 अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायगढ़ (छ.ग.)

बी.एस-सी. (उद्यानिकी)

- 13 अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, राजनांदगांव (छ.ग.)
- 14 अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, जगदलपुर (छ.ग.)

बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी)

- 15 अधिष्ठाता, बी.आर.एस.एम. कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, मुंगेली (छ.ग.)
- 16 अधिष्ठाता, स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)

(ब) विश्वविद्यालय से सम्बद्धता एवं मान्यता प्राप्त निजी कृषि महाविद्यालयों की सूची :-

- 1 प्राचार्य, भारतीय कृषि महाविद्यालय, पदमनाभपुर, पुलगांव चौक, दुर्ग (छ.ग.)
- 2 प्राचार्य, छत्तीसगढ़ कृषि महाविद्यालय, रिसाली (मिलाई) धनोरा रोड, पो-हनोंदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
- 3 प्राचार्य, महामाया कृषि महाविद्यालय, नगरी रोड, ग्राम-सियादेही, पो-अरौंद, धमतरी (छ.ग.)
- 4 प्राचार्य, कृषि महाविद्यालय, चिता लका कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
- 5 प्राचार्य, कृषि महाविद्यालय, जोरामाली (केनापाली) रोड, रायगढ़ (छ.ग.)
- 6 प्राचार्य, शोरमदेव कृषि महाविद्यालय, ग्राम-धुधरी कला, खुटु नर्सरी के पास, कवर्धा (छ.ग.)
- 7 प्राचार्य, श्रीराम कृषि महाविद्यालय, श्रीराम परिसर, ग्राम-टाकुर टोला, पो-सौमनी, राजनांदगांव
- 8 प्राचार्य, कृषि महाविद्यालय, गायत्री मंदिर के पास, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव (छ.ग.)
- 9 प्राचार्य, मार्गदर्शन संस्थान कृषि महाविद्यालय, सिंग रोड, चोपड़ापारा, अम्बिकापुर, रायगढ़ (छ.ग.)
- 10 प्राचार्य, दन्तेश्वरी उद्यानिकी महाविद्यालय, मनोपचार हॉस्पिटल के पास, माना बस्ती, रायपुर (छ.ग.)
- 11 प्राचार्य, गायत्री उद्यानिकी महाविद्यालय, गोकुलपुर रूद्री रोड, धमतरी (छ.ग.)
- 12 प्राचार्य, के.ए.ए. उद्यानिकी महाविद्यालय, पोटियाडीह मार्ग, धमतरी (छ.ग.)
- 13 प्राचार्य, रानी दुर्गावती उद्यानिकी महाविद्यालय, मेढुका, वि.ख.-गौरैला, तहसील-पेन्द्रा रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
- 14 प्राचार्य, भारतीय कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पदमनाभपुर, पुलगांव चौक, दुर्ग (छ.ग.)
- 15 प्राचार्य, छत्तीसगढ़ कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रिसाली (मिलाई) धनोरा रोड, पो-हनोंदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)